न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 219/2017

| अपीलाण्ट्स | वनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर | | भीवडा उर्फ भीयाराम पुत्र भारता के का0मुकाम–<br>1– पोकरराम पुत्र भींवडा उर्फ भीयाराम<br>2– भंवरलाल पुत्र भींवडा उर्फ भीयाराम<br>3– हीराराम पुत्र भींवडा उर्फ भीयाराम के कायम मुकाम–<br>3.1–मांगीलाल पुत्र हीराराम<br>4– खगारिया उर्फ खगारराम पुत्र भारता के कायम मुकाम–<br>4.1 सुरजाराम पुत्र खगारिया उर्फ खगाराम<br>4.2 हरिराम पुत्र खंगारिया उर्फ खंगाराम<br>4.3 हरलाल पुत्र खंगारिया उर्फ खंगाराम के कायम मुकाम–<br>4.3.1 रामसिह पुत्र हरलाल<br>4.3.2 सुनिल पुत्र हरलाल<br>4.3.3 सिवरीदेवी पत्नी हरलाल<br>रामसिह व सुनिल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सिवरीदेवी पत्नी हरलाल सभी जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम कांकाणी तहसील लूनी जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–11–2015 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 43/2015 अनवान भीवडा उर्फ भीयाराम के का0मुकाम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी मे उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 12–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0गण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि गांव कांकाणी तहसील लूनी मे कृषि भूमि खसरा नंबर 974 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा स्थित है जो प्रारंभ से भीवडा व खंगारिया पुत्र भारता विश्नोई के नाम से खातेदारी मे दर्ज रही है । खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2027 तक मे कॉलम संख्या 6 मे इसी माफिक इन्द्राज भीवडा खंगारिया बेटा भारता विश्नोई दर्ज है । प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि उपरोक्त खसरान की भूमि के अलावा भी उपरोक्त भीवडा व खंगारिया के खसरा नंबर

981 व 981/1 की भूमि गांव कांकाणी मे स्थित है जिसमे भी इन्द्राज भीवडा खगांरिया बेटा भारता विश्नोई दर्ज चला आ रहा है । परंतु जब कालांतर मे जमाबंदी खसरा नंबर 974 की तैयार की गई तो उपरोक्त दोनो व्यक्तियो भीवडा व खंगारिया का नाम लिपिकीय त्रुटिवशः लिखना रह गया एवं केवल विश्नोईयां खातेदार दर्ज कर दिया गया जो इन्द्राज अथहीन रह जाता है क्योंकि केवल जाति लिख देने से रेकर्ड मे स्थिति भ्रांतिपूर्ण बनी रहती है । खसरा नंबर 974 की गिरदावरी के कॉलम संख्या 6 का इन्द्राज जमाबंदी मे करते समय खातेदार का नाम भी साथ मे जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे लिखते हुए जाति विश्नोई दर्ज किया जाना चाहिये था । संवत 2027 की जमाबंदी तैयार करते समय उक्त लिपिकीय त्रुटि की गई जो उसके पश्चात की जमाबंदियो मे भी निरंतर इसी अनुसार चलती रही एवं वर्तमान मे जमाबंदी मे खातेदारान का नाम दर्ज न कर केवल विश्नोईयां खातेदार दर्ज है । ज़माबंदी मे दर्ज मूल खातेदार भींवडा उर्फ भीयाराम व खंगारिया उर्फ खंगारराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान है । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि खसरा नंबर 981 एवं 981/1 की भमि मे गिरदावरी के कॉलम संख्या 6 का इन्द्राज जमाबंदी मे करते समय बकायदा उपरोक्त भीवडा एवं खंगारिया का नाम दर्ज किया गया एवं उन्हे खातेदार दर्शाया हुआ है एवं उनके फौत होने पर अब वर्तमान मे भूमि इनके वारिसान अथार्त प्रार्थीगण के नाम दर्ज है । उपरोक्त कथन करते हुए प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि उपरोक्त मामले मे स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड मे लिपिकीय त्रुटि हुई है जिसे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत कभी भी दुरस्त किया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये एवं राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी मे खसरा नंबर 974 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि गांव कांकाणी स्व0 भीवडा व खंगारिया पि0 भारता के वारिसान (प्रार्थीगण) के नाम दर्ज करने के पश्चात उनकी जाति विश्नोई दर्ज की जावे एवं केवल विश्नोईयान खातेदार दर्ज शब्द निरस्त किया जावें । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–11–2015 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण जो कि मूल खातेदारान के वारिसान है उनका नाम गांव जम्बेश्वर नगर के खसरा नंबर 974 रकबा 18.04 बीधा भूमि मे बतौर खातेदार दर्ज कर उनकी जाति विश्नोई दर्ज की जावें । राजस्व रेकर्ड मे तहसीलदार आवश्यक दुरस्ती करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 10–11–2015 के विरूद्ध वर्तमान अपील तहसीलदार लूनी की ओर से प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानो के विपरीत अपीलाधान आदश पारित किया है, जा निरस्त योग्य है ।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को सभी हितबद्ध पक्षो को सुना जाना चाहिये था क्योकि भूमि रीको लि0 द्वारा वर्ष 2013 मे अवाप्त की जा चुकी थी जबकि रीको को पक्षकार बनाकर उसे सुना तक नही । राजकीय अधिवक्ता ने यह

भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह तय किया जाना चाहिये था कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले पक्ष को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार था या नही एवं प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति लेने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ या नही, कही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अजनबी व्यक्ति की श्रेणी मे तो नही आते है अर्थात उक्त अपील के रेस्पो0 ही पूर्व खातेदार भीवडा एवं खंगारिया पुत्र भारता विश्नोइ के वारिसान है । राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन किया कि दस्तावेजात की श्रंखला पूर्ण नही है तथा वारिसान के बारे मे भी स्पष्टता नही है, अपूर्ण व काल्पनिक तथ्यो के आधार पर न्यायालय से अनुतोष चाहा गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन किये बिना तथा जवाब मे लिखे गये तथ्यो पर विचार किये बिना जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि गांव कांकाणी तहसील लूनी मे कृषि भूमि खसरा नंबर 974 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा स्थित है जो प्रारंभ से भीवडा व खंगारिया पुत्र भारता विश्नोई के नाम से खातेदारी मे दर्ज रही है । खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2027 तक मे कॉलम संख्या 6 मे इसी माफिक इन्द्राज भीवडा खंगारिया बेटा भारता विश्नोई दर्ज रहा । परंतु जब कालांतर मे जमाबंदी खसरा नंबर 974 की तैयार की गई तो उपरोक्त दोनो व्यक्तियो भीवडा व खंगारिया का नाम लिपिकीय त्रुटिवशः लिखना रह गया एवं केवल विश्नोईयां खातेदार दर्ज कर दिया गया जो इन्द्राज अर्थहीन रह जाता है क्योकि केवल जाति लिख देने से रेकर्ड मे स्थिति भ्रांतिपूर्ण बनी रहती है । संवत 2027 की जमाबंदी तैयार करते समय उक्त लिपिकीय त्रुटि की गई जो उसके पश्चात की जमाबंदियो मे भी निरंतर इसी अनुसार चलती रही एवं वर्तमान मे जमाबंदी मे खातेदारान का नाम दर्ज न कर केवल विश्नोईयां खातेदार दर्ज है । जमाबंदी मे दर्ज मूल खातेदार भींवडा उर्फ भीयाराम व खंगारिया उर्फ खंगारराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान है । उनके नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद राजस्व रेकर्ड की जांच के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–11–2015 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण जो कि मूल खातेदारान के वारिसान है उनका नाम गांव जम्बेश्वर नगर के खसरा नंबर 974 रकबा 18.04 बीघा भूमि मे बतौर खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे आवश्यक दुरस्ती करने के आदेश जो तहसीलदार लूनी को पारित किये है, जो विधिसम्मत होने से रेस्पो0गण का नाम जरिये नामांतरकरण राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुका था तथा उक्त भूमि रीको लि0 द्वारा अवाप्त की जाने से उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 81 रेस्पो0 के स्थान पर रीको जोधपुर के नाम से दर्ज हो चुका है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

कनि॰ प्रशासनिक अधिकारी
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । तहसीलदार लूनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब दिनांक 16–10–2015 अनुसार "राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज अर्थपूर्ण होने चाहिये न की अर्थहीन । पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संवत् 2010 से 2013, संवत 2014 से 2016, संवत 2018 से 2021, संवत 2021 से 2024 एवं संवत 2024 से 2027 मे भींवडा व खंगारिया पुत्र भारता विश्नोई का नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2031 मे खातेदार का नाम विश्नीया दर्ज है।"

इसके अलावा इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 9–3–2021 को तहसीलदार लूनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम श्री जम्भेश्वर नगर तहसील लूनी की जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 160 मे खसरा नंबर 974 रकबा 18.04 बीघा कॉलम 4 (काश्तकार का नाम) विश्नोईया खातेदार दर्ज है, विशेष विवरण के कॉलम मे नामांतरकरण संख्या 79 निर्णय दिनांक 23–11–2015 न्यायालय आदेश पोकरराम भंवरलाल पि0 भीवडा उर्फ भीयाराम,मांगीलाल पुत्र हीराराम, सुरजाराम, हरीराम पि0 खंगारिया उर्फ खंगारराम सिवरीदेवी पत्नी हरलाल, रामसिह सुनिल पि0 हरलाल नाबा. रामसिंह सुनिल कुदरती वली माता सिवरीदेवी जाति विश्नोई सा. देह खातेदार एवं नामांतरकरण संख्या 81 दिनाक 23–11–2015 भूमि अवाप्ति अधिकारी राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) जोधपुर का अंकन है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 209 मे खसरा नंबर 974 रकबा 18.04 बीघा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) जोधपुर के नाम दर्ज है ।"

इसीप्रकार पटवारी हल्का कांकाणी की रिपोर्ट दिनांक 22–2–2021 जो तहसीलदार लूनी को सम्बोधित है जिसमे "वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–76 मे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) जोधपुर के नाम दर्ज है जबकि मौके पर भीवडा, खंगारिया पि. भारता के परिवार के लोगो का कब्जा है एवं उनके द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी की प्रतिलिपियां की फोटोप्रति की अस्पष्ट प्रतियां पेश की जिसमे खसरा नंबर 974 मे खातेदार भीवडा खंगारिया पि0 भारता कौम विश्नोई का नाम दर्ज है ।"

खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013, संवत 2014 से 2016, संवत 2018 से 2021, संवत 2021 से 2024 एवं संवत 2024 से 2027 तक भींवडा व खंगारिया पुत्र भारता विश्नोई का नाम दर्ज है जबकि खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2031 मे खातेदार का नाम "विशनीया" दर्ज है, जो रिकार्ड लेखन मे त्रुटि होना प्रतीत होता है । जमाबंदी मे "विश्नोयान" सरकारी भूमि के खण्ड मे दर्ज नही है वरन् काश्तकारो की निरंतरता मे खाता व खसरा नंबर दर्ज है । पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भिंवडा, खंगारिया पि0 भारता कौम विश्नोई का नाम संवत 2010 से 2027 की खसरा गिरदावरी मे दर्ज है तथा पटवारी हल्का कांकाणी की रिपोर्ट दिनांक 22–2–2021 अनुसार मौके पर भीवडा, खंगारिया पि0 भारता के परिवार के लोगो का कब्जा काश्त होना बताया है, जो इंगित करता है कि यह खसरा अवश्य ही काश्तकारो का है व कालान्तर मे रिकार्ड लेखन मे त्रुटि अवश्यंभावी है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–11–2015 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–11–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर